

प्रीमियम एवं लीज रेंट की देयता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में बौईपुर/बाबरपुर/मऊ वन ब्लॉक में गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा प्रस्तावित गंगाजल परियोजना से सम्बन्धित पाईप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित 10.22375 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित की जाने वाली आरक्षित वन भूमि की लीज अवधि 30 वर्ष रहेगी। वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रीमियम एवं लीज रेंट की देयता का भुगतान गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा किया जायेगा।

15.3.18
(आर० के० पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ०प्र० जल निगम, आगरा